सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )पराविं/प्र.1/वि.अ/संस्था/RRDS-12/नियमित/2017/3094 जयपुर दिनांकः– 22.12.17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।

विषयः–राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा बैच–2012 के अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात नियमित वेतन श्रृंखला देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा (बैच–2012) के अधिकारियों को विभागीय आदेश क्रमांक 2433 दिनांक 18.11.15, 2520 दिनांक 7.12.15 एवं 407 दिनांक 24.2.16 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गयी थी। उक्त अधिकारियों को परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान करने के सम्बन्ध में आपसे निम्नानुसार सूचना अपेक्षित हैः–

1. उक्त अधिकारियों के विरूद्ध जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र (यदि किसी अधिकारी को दण्डित किया गया है तो उसकी पूर्ण सूचना)
2. उक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी का यदि असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है तो उसकी पूर्ण अवधि।
3. आपके अधीन की गयी सेवा अवधि के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र अथवा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन।

अतः उपरोक्त सूचना शीघ्र विभाग को भिजवाने का श्रम करावें। कृपया बिना विभाग की अनुमति के किसी भी परिवीक्षाधीन अधिकारी को नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत नहीं की जावे।

(इकबाल खान)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. ए.सी.पी मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
2. संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि वह दो से अधिक बच्चों के सम्बन्ध में वांछित प्रमाण पत्र, विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया हो तो), अचल सम्पत्ति का विवरण एवं लिये गये अवकाश व जांच विचाराधीन नहीं होने की स्वघोषणा भी अविलम्ब विभाग को उपलब्ध करावें।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

Later-1